बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अधीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा के क्रम में श्री राजू कुमार, पिता–वासुदेव कुमार, पता–ग्राम–एतवारपुर सिसौला, पोस्ट–माणिकपुर पकड़ी, थाना–लालगंज, जिला–वैशाली, बिहार, पिनकोड–844121, ई–मेल–rajublee@gmail.com.

द्वितीय पता–मकान संख्या–4/12, दूसरी मंजिल, सर्वप्रिय विहार, हौजखास, नई दिल्ली–110016 द्वारा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित अबतक समर्पित नहीं करने के संबंध में।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 227 दिनांक 22.10.2018 द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार निर्वाचन सेवा के अधीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आपकी अनुशंसा तथा दिनांक 30.08.2019 को आपके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के क्रम में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 27.09.2019 को चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन तथा अभिलेख सत्यापन हेतु अंतिम अवसर के रूप में दिनांक 27.09.2019 की तिथि निर्धारित करने का निर्णय लेते हुए इसकी सूचना विभागीय पत्रांक 6645 दिनांक 17.09.2019 द्वारा आपको दी गयी थी।

उक्त के क्रम में आप दिनांक 27.09.2019 को विभागीय मुख्यालय में उपस्थित हुए तथा आपका चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन एवं अभिलेख सत्यापन का कार्य किया गया। परन्तु तत्समय आपके द्वारा वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया। जिसे समर्पित करने हेतु तत्समय निदेशित भी किया गया था। इसके उपरान्त विभागीय पत्रांक 7708 दिनांक 08.11.2019 द्वारा आपके स्थायी एवं आवासित पता के साथ–साथ आपके ई–मेल पर भी इस संबंध में स्मारित किया गया है। परन्तु वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आपके द्वारा अभी तक समर्पित नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप उक्त पद पर नियुक्ति की अग्रेतर कार्रवाई नही की जा सकी है। स्थायी पता पर प्रेषित उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा यह सूचना अंकित करते हुए यह कह कर वापस की गयी है कि "प्राप्त कर्त्ता घर पर नहीं है, कही बाहर रहते है"।

वर्णित स्थिति में यह सूचना प्रकाशित की जा रही है कि आप, वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के अन्दर विभागीय मुख्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि उक्त पद पर नियुक्ति में आपकी कोई अभिरूचि नहीं है तथा आपकी अभ्यर्थित्ता रद्द करने का कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी।